न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्या: 151/2020 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2020/00148

1. जमाला बेवा लखे खां जाति मुसलमान साकिन बेरियांवाली तहसील खाजूवाला। (कलमजन आदेश दिनांक 27.07.2022)

2. मकबूल अली
3. माशूक अली

} पिसरान लखे खां जाति मुसलमान साकिन बेरियांवाली तहसील खाजूवाला।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. मदनलाल पुत्र खिराजराम जाति सुथार साकिन राजीव नगर, खाजूवाला।
2. लियाकत अली पुत्र लखें खां जाति मुसलमान साकिन चक 2 बी.आर.डब्ल्यू.एम. बेरियांवाली तहसील खाजूवाला।
3. फांफा खातून पत्नि मोहम्मद अली पुत्री लखें खां जाति मुसलमान साकिन बेरियांवाली तहसील खाजूवाला।
4. नामा खातून पत्नि साबूदीन पुत्री लखें खां जाति मुसलमान साकिन मदरसा नूरियां के पास, खाजूवाला।
5. सरपंच ग्राम पंचायत 7 पी.एच.एम.।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः	अभिभाषक अपीलांट	श्री विजय कुमार पारीक
	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1	श्री लक्ष्मीकांत रंगा
	रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3, 4	इकतरफा कार्यवाही
	रेस्पोडेन्ट सं. 5	अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 18.11.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के निर्णय दिनांक 27.01.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

1– वादगत भूमि चक 2 बीआरडब्ल्यूएम (ए) के मु.नं. 141/23 के किला नं. 1 ता 3, 7 ता 14, व 17 ता 24 की 18.10 बीघा भूमि है। उक्त भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा क्रय की। उक्त बैयनामा के आधार पर हल्का पटवारी ने इंतकाल संख्या 218 दर्ज कर आर.आई.

की जांच बाद रेस्पोडेन्ट सं. 5 ग्राम पंचायत को स्वीकृति हेतु पेश किया, जि
ग्राम पंचायत ने विवादित बताते हुए इंतकाल निरस्त करने के आदेश दिनांक
20.04.2018 दे दिये। ग्राम पंचायत के उक्त आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय
में रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी खाजूवाला ने दिनांक 27.01.2020 को तहसीलदार खाजूवाला को
रिमाण्ड कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 27.01.2020 से
व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

2— अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी तथा मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने व अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी तथा मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3— अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस न्यायिक दृष्टांत व प्रपत्र 3 के संलग्न दस्तावेज पेश करते हुए कथन किया कि चक 2 बीआरडब्ल्यूएम (ए) के मु.नं. 141/23 के किला नं. 1 ता 3, 7 ता 14, व 17 ता 24 की 18.10 बीघा भूमि लखें खां के नाम दर्ज थी। लखे खां के देहांत के पश्चात् विरासतन इंतकाल संख्या 146 दिनांक 05.12.2009 वारिसान अपीलांट्स व रेस्पोडेंट सं. 2 ता 4 के नाम दर्ज हो गया। उक्त भूमि का आज तक विभाजन नहीं हुआ। रेस्पोडेंट सं. 1 ने तथाकथित मुख्त्यारनामा के आधार पर अपीलांट सं. 3 के हिस्से की खातेदारी भूमि का बैयनामा स्वयं के नाम ही करवा लिया, जबकि स्वयं मुख्त्यारआम है। मुख्त्यारनामा वैध न होने के बावजूद स्वयं के नाम रजिस्ट्री करवाई, जो कानून की निगाह में शून्य है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने उक्त बेचवान के आधार पर बिना विभाजन की भूमि का इंतकाल दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया, जिसे ग्राम पंचायत ने मौके पर कब्जा न होने व विवादित होने के कारण अस्वीकृत कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय को ग्राम पंचायत के उक्त आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मियाद बिन्दु तय किये, बिना रिकार्ड का अवलोकन किये व बिना सुनवाई किये इकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के संबंध में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं :—

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

- आर.आर.डी. 1987 पेज नंबर 116
- आर.आर.डी. 2010 पेज नंबर 615
- आर.आर.डी. 2006 पेज नंबर 131
- आर.आर.डी. 1987 पेज नंबर 117
- आर.आर.डी. 1989 पेज नंबर 340

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया है कि अपीलांट्स को इस न्यायालय में अपील पेश करने की लोक्सस्टेण्डाई ही नहीं हैं, क्योंकि अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार ही नही थे। रेस्पोडेंट सं. 1 ने उक्त वादगत भूमि जरिये बैयनामा क्रय की थी। अपीलांट्स ने बैयनामा को किसी भी अन्य न्यायालय में चैलेंज ही नहीं किया। बैयनामा को तीन वर्ष के भीतर ही चैलेंज किया जा सकता था। अतः अपील अपीलांट्स निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2020 को यथावत रखते हुए रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के आदेश दिये जावे।

4— हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख व न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2020 द्वारा अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण में तहसीलदार खाजूवाला को बैयनामा के आधार पर इंतकाल स्वीकृत करने के आदेश दे दिये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने वादगत भूमि दिनांक 08.06.2017 को प्रतिफल राशि अदा कर जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा क्रय की है। जब तक अपीलांट्स द्वारा उक्त बैयनामा को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता, तब तक उक्त बैयनामा के आधार पर की गई कार्यवाही को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं हैं। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2020 न्यायोचित होने के कारण यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर